

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चिअ/एटी/प08 पार्ट (स्वाइन फ्लू)/2010/ 96 दिनांक: 29-06-2010

आदेश

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(14)चिस्वा/2/2009 दिनांक 23-4-2010 के द्वारा विभाग के समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 13-11-09 के द्वारा राज्य में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु 600 चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर Urgent Temporary Basis पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति के अर्न्तगत संविदा के आधार पर भरे गये रिक्त पदों पर चिकित्सकों की सेवा अवधि दिनांक 30-6-2010 तक नवीन अनुबन्ध के अनुसार बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त स्वीकृति के अर्न्तगत (स्वाइन फ्लू) संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सकों की सेवायें दिनांक 30-06-2010 मध्यान्ह बाद से एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन स्वाइन फ्लू के अर्न्तगत कार्यरत चिकित्सकों की दिनांक 30-06-2010 मध्यान्ह बाद सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम।

8. शासन पत्रावली/चिअ(एटी)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।